न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 72 / 2024 / सरफैसी

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कार्यालय–खैरवाडा, आजाद चौक, खैरवाडा, उदयपुर 313803

.प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स वेलकम ओम स्टोर प्रोपराईटर श्री ओमप्रकाश भदावत जैन पुत्र श्री नाथू लाल भदावत, पता– 20 दुकान, न्यू बस स्टेण्ड के सामने, खैरवाडा, उदयपुर
2. श्रीमती वीना भदावत जैन पत्नी ओमप्रकाश भदावत जैन, पता– 20 दुकान, न्यू बस स्टेण्ड के सामने, खैरवाडा, उदयपुर 313803

...........ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितः श्री राम निवास स्वामी अधिवक्ता प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक 27/05/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक / वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगणको राशि 25 लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की **जायदादः–**

1. मैसर्स वेलकम ओम स्टोर पता– 20 दुकान, न्यू बस स्टेण्ड के सामने, एन एच 8, धन लक्ष्मी मार्केट, खैरवाडा, उदयपुर राजस्थान 313803 के नाम दुकान / रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध समी प्लांट एवं मशीनरी एवं स्टॉक।

2. श्री ओमप्रकाश भदावत जैन पुत्र श्री नाथू लाल भदावत के नाम भूमि एवं उस पर निर्माण जो दुकान न. 03, एन एच 8, खैरवाडा छावनी, तहसील खेरवाडा, उदयपुर राजस्थान खसरा न. 1207 पर स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 0.01 हैक्टेयर आबादी भूमि कुल 649 वर्ग फीट आबादी प्लॉट एवं मकान है। सीमाएः– उत्तर में वन्दना देवी जैन का मकान, दक्षिण में आनन्द शाह पुत्र बाबूलाल शाह की दुकान, पूर्व में 7 फीट चौडा कॉलोनी का सार्वजनिक रास्ता, पश्चिम में नियमानुसार दुरी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 08

3. श्रीमती वीना भदावत जैन पत्नी ओमप्रकाश भदावत जैन के नाम भूमि एवं उस पर निर्माण जो दुकान न. 04, धन लक्ष्मी मार्केट, एन एच 8, खैरवाडा छावनी, तहसील खेरवाडा, उदयपुर राजस्थान खसरा न. 1207 पर स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 0.01 हैक्टेयर आबादी भूमि कुल 649 वर्ग फीट आबादी प्लॉट एवं मकान है। सीमाएः– उत्तर में रक्षादेवी पत्नी संजय पंचोली निवासी छाणी (बीच की दीवार शामलाती है), दक्षिण में प्रथम पक्षकार का स्वंय का मकान, पूर्व में 7 फीट चौडा कॉलोनी का सार्वजनिक रास्ता बाद में विक्रेता स्वंय का मकान, पश्चिम में नियमानुसार दुरी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 08 को प्रार्थी बैंक / कम्पनी के पक्ष में रहन / हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक / कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला कलक्टर
उदयपुर

अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 01.02.2024 तक 19,91,385.11/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 25 लाख रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 01.02.2024 तक 19,91,385.11/– रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी **जायदाद (1. मैसर्स वेलकम ओम स्टोर पता– 20 दुकान, न्यू बस स्टेण्ड के सामने, एन एच 8, धन लक्ष्मी मार्केट, खैरवाडा, उदयपुर राजस्थान 313803 के नाम दुकान/रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध समी प्लांट एवं मशीनरी एवं स्टॉक।**

2. श्री ओमप्रकाश भदावत जैन पुत्र श्री नाथू लाल भदावत के नाम भूमि एवं उस पर निर्माण जो दुकान न. 03, एन एच 8, खैरवाडा छावनी, तहसील खेरवाडा, उदयपुर राजस्थान खसरा न. 1207 पर स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 0.01 हैक्टेयर आबादी भूमि कुल 649 वर्ग फीट आबादी प्लॉट एवं मकान है। सीमाएः– उत्तर में वन्दना देवी जैन का मकान, दक्षिण में आनन्द शाह पुत्र बाबूलाल शाह की दुकान, पूर्व में 7 फीट चौडा कॉलोनी का सार्वजनिक रास्ता, पश्चिम में नियमानुसार दुरी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 08

3. श्रीमती वीना भदावत जैन पत्नी ओमप्रकाश भदावत जैन के नाम भूमि एवं उस पर निर्माण जो दुकान न. 04, धन लक्ष्मी मार्केट, एन एच 8, खैरवाडा छावनी, तहसील खेरवाडा, उदयपुर राजस्थान खसरा न. 1207 पर स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 0.01 हैक्टेयर आबादी भूमि कुल 649 वर्ग फीट आबादी प्लॉट एवं मकान है। सीमाएः– उत्तर में रक्षादेवी पत्नी संजय पंचोली निवासी छाणी (बीच की दीवार शामलाती है), दक्षिण में प्रथम पक्षकार का स्वंय का मकान, पूर्व में 7 फीट चौडा कॉलोनी का सार्वजनिक रास्ता बाद में विक्रेता स्वंय का मकान, पश्चिम में नियमानुसार दुरी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 08 स्थित है) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावें कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर